

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2014–15 के लिए सत्यापन

दायर याचिका

दिसम्बर 2016

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

- वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 (विव 15 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित
- इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रु. में है।
- इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

| | |
|----------------------------|---|
| आवेदन | विव 2014-15 के लिए सत्यापन याचिका |
| जोधपुर डिस्कॉम, जोविविनिलि | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| वाराआ | वार्षिक राजस्व आवश्यकता |
| सेकलाउयो | सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान |
| सीपीपी | केप्टी पॉवर प्लांट |
| कउ | कटे हुए उपभोक्ता |
| घसे | घरेलू सेवा |
| अउआ | अतिरक्त उच्च आतति |
| विअ 2003 | विद्युत अधिनियम, 2003 |
| विव | वित्तीय वर्ष |
| विव 15 | वित्तीय वर्ष 2014-15 |
| सस्थाप | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां |
| भास | भारत सरकार |
| रास | राजस्थान सरकार |
| उआ | उच्च आतति |
| किवोए | किलो वोल्ट एम्पीयर |
| किवा | किलोवाट |
| किवाध | किलोवाट घण्टा या इकाई |
| निआ | निम्न आतति |
| मऔश | मध्यम औद्योगिक शक्ति |
| मि.यू | मिलियन यूनिट |
| अघसे | अघरेलू सेवा |
| नि.स्था.परि. | निवल स्थाई परिसम्पत्तियां |
| भानाविनिलि | भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. |
| राजविनि | राष्ट्रीय जल विद्युत निगम |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| उक्षेभाप्रेके | उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र |
| राताविनि | राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम |
| भाग्रिविनिलि | भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड |
| साजदा | सार्वजनिक जलदाय |
| राविविआ / आयोग | राजस्थान राज्य विनियामक आयोग |
| राविप्रनिलि | राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड |
| राविउनिलि | राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| ग्राविनि | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम |
| रू. | भारतीय रूपये |
| राराविम / म. | राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल |
| लऔश | लघु औद्योगिक शक्ति |
| राभाप्रेके | राज्य भार प्रेषण केन्द्र |
| गै-अवि | गैर- अनुसूचित विनिमय |
| याचिकाकर्ता / यूटिलीटि | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |

विषय वस्तु की सारणी

| | | |
|------|--|----|
| अ 1: | विव 2014-15 के लिए ट्रयूअप | |
| | प्रस्तावना | 7 |
| | विव 2014-15 के लिए ट्रयूअप | 8 |
| | ऊर्जा विक्रय | 10 |
| | वितरण हानियां | 12 |
| | ऊर्जा संतुलन | 13 |
| | विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 14 |
| | विद्युत क्रय लागत | 14 |
| | परिचालन एवं संधारण व्यय | 16 |
| | कर्मचारी व्यय | 17 |
| | प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय | 20 |
| | मरम्मत एवं संधारण व्यय | 21 |
| | व्ययों का पूंजीकरण | 22 |
| | ब्याज तथा वित्त प्रभार | 23 |
| | ह्रास | 24 |
| | अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं की दी गयी छूट तथा पूर्वावधि | 25 |
| | विव 2014-15 के लिए सराआ का सारांश | 26 |
| | राजस्व | 27 |
| | राजस्व का सारांश | 27 |
| | गैर-टैरिफ आय | 28 |
| | अन्य आय | 29 |
| | विव 2014-15 के लिए राजस्व घाटा | 30 |
| | विव 2014-15 के लिए विचलन विश्लेषण | 31 |
| अ 2: | प्रार्थना | 34 |

सारणियों की सूची

| | | |
|----------|--|----|
| सारणी-1 | विव 2014-15 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रू.) | 8 |
| सारणी-2 | विव 2014-15 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना | 10 |
| सारणी-3 | वितरण हानियां (प्रतिशत) | 12 |
| सारणी-4 | विव 2014-15 के ऊर्जा संतुलन | 13 |
| सारणी-5 | विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रू.) | 14 |
| सारणी-6 | विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू.) | 17 |
| सारणी-7 | विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू.) | 17 |
| सारणी-8 | कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.) | 18 |
| सारणी-9 | प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.) | 20 |
| सारणी-10 | प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रू.) | 20 |
| सारणी-11 | म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.) | 21 |
| सारणी-12 | मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रू.) | 22 |
| सारणी-13 | विव 2014-15 के लिए व्ययों का पूंजीकरण (करोड़ रू.) | 22 |
| सारणी-14 | ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.) | 23 |
| सारणी-15 | विव 2014-15 के लिए ह्रास (करोड़ रू.) | 24 |
| सारणी-16 | विव 2014-15 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रू.) | 26 |
| सारणी-17 | विव 2014-15 के लिए वाराआ (करोड़ रू.) | 26 |
| सारणी-18 | विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व | 27 |
| सारणी-19 | गैर- टैरिफ आय (करोड़ रू.) | 28 |
| सारणी-20 | विव 2014-15 के लिए अन्य आय (करोड़ रू.) | 30 |
| सारणी 21 | विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्वघाटा (करोड़ रू.) | 30 |
| सारणी 22 | विचलन विश्लेषण (करोड़ रू.) | 31 |

अ 1. विव 2014-15 के लिए ट्र्यू-अप

प्रस्तावना

- 1.1 याचिकाकर्ता 'जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (इसके आगे 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट) राजस्थान सरकार (रास) द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत यथाधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत के व्हीलिंग तथा फुटकर आपूर्ति के लिए एक वितरण याचिकाकर्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के रूप में नियुक्त है। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, नागौर (पं.स. लाडनू), जैसमलेर, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, श्रीगंगानर याचिकाकर्ता जोविविनिलि के क्षेत्र के रूप में है।
- 1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (इसके आगे 'आयोग' के रूप में निर्दिष्ट), विद्युत विनियामक आयोग (विविआ) अधिनियम, 1998, जिसका विद्युत अधिनियम (विअ) 2003 द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया था, के अन्तर्गत गठित एक स्वतन्त्र सांविधिक निकाय है। आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत हुआ है। आयोग में, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विनिर्धारण सहित विद्युत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के प्राधिकार निहित हैं।
- 1.3 माननीय आयोग ने 24 फरवरी 2014 को "टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें विनियम, 2014" जारी किये थे। ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए विस्तारित हुये तथा विनियमों के अन्तर्गत आवृत सभी प्रकरणों में टैरिफ के विनिर्धारण हेतु विव 2014-15 से विव 2018-19 तक प्रयोज्य रहे। इसलिए जोविविनिलि माननीय आयोग से निवेदन करता है कि उक्त राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयोग विव 2014-15 की ट्र्यू-अप की याचिका पर विचार किये जाने के लिए सशक्त है।
- 1.4 बाद में माननीय आयोग ने राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत विव 2014-15 के लिए 20 फरवरी 2015 को टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।
- 1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 8 (3) के अनुसार ट्र्यू-अप में, आवेदक का पिछले वर्ष के अंकेक्षित निष्पादन के साथ माननीय आयोग के अवलोकन व विवेकी जांच हेतु तुलना समाहित होगी। याचिकाकर्ता विव 2014-15 के लिए ट्र्यू-अप प्रस्तुत

करना चाहेगा।

- 1.6 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्राक्कलित तथा तदनु रूप आयोग द्वारा अनुज्ञात की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता, आदेश जारी करते समय विव 2014-15 के प्राक्कलित विक्रयों तथा प्राक्कलित व्ययों पर आधारित थी। तथापि, क्योंकि अंकेक्षित वास्तविक आंकड़े डिस्कॉम के पास उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार ट्रयूअप की याचिका माननीय आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा है।
- 1.7 माननीय आयोग के विचारार्थ विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों की एक प्रतिलिपि भी इस याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस ट्रयूअप याचिका में याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के दौरान याचिकाकर्ता ने उपगत वास्तविक लागत दर्शाने के लिए अंकेक्षित लेखों को स्रोत के रूप में लिया है।

विव 2014-15 के लिए ट्रयूइंग-अप

- 1.8 माननीय आयोग ने दिनांक 20 फरवरी 2015 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता की विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता, 1670 करोड़ रु. के सदृश राजस्व अन्तर के साथ 11612 करोड़ रु. प्राक्कलित की। याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार नीचे सारणी में दर्शित अन्तर प्रस्तुत किया है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवयवों को याचिका के बाद वाले भाग में विस्तृत किया गया है।

सारणी 1: विव 2014-15 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | प्राक्कलित (अ) | अनुमोदित (ब) | वास्तविक (स) | विचलन द=ब-स |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. राजस्व | | | | |
| विद्युत का विक्रय | 8,102 | 8,320 | 7,923 | 397 |
| ट्रेडिंग के माध्यम से विद्युत का विक्रय | | 634 | 44 | 590 |
| कुल राजस्व (अ) | 8,102 | 8,954 | 7,967 | 987 |
| 2. व्यय | | | | - |
| विद्युत क्रय लागत | 9,242 | 8,089 | 8,103 | (14) |
| प्रसारण व्यय | 1,136 | 877 | 919 | (42) |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा व्यय के साथ) | 651 | 635 | 471 | 163 |
| सेवांत लाभ | 394 | 394 | 404 | (10) |
| ब्याज तथ वित्त प्रभार (केयरिंग राशि के साथ) | 2,164 | 1,734 | 439 | 1,295 |
| कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 186 | 134 | 2,238 | (2,104) |
| ह्रास | 305 | 202 | 429 | (227) |
| अन्य व्यय (पूर्वावधि व्यय/आय) | - | | 243 | (243) |
| बीमा खर्चे | | 13 | 0 | 13 |
| सकल समग्र राजस्व आवश्यकता | 14,078 | 12,078 | 13,247 | (1,169) |
| घटायें – राविपनिलि व राविउनिलि से पिछले वर्षों के आधार पर वसूली जाने वाले लागत | | 217 | 220 | (3) |
| घटायें – गैर टैरिफ आय/अन्य आय | 247 | 247 | 440 | (193) |
| घटायें – व्हीलिंग से आय एवं क्रास सब्सिडी सरचार्ज | 2 | 2 | 8 | (6) |
| समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब) | 13,828 | 11,612 | 12,579 | (968) |
| गेप/(अधिशेष) (ब-अ) (स) | 5,726 | 2,658 | 4,612 | (1,954) |
| राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | | | | - |
| विश्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी | 4 | 4 | 3 | 1 |
| विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी | 390 | 390 | 320 | 70 |
| राज्य सरकार से नकद सहायता | 133 | 133 | 132 | 1 |
| ब्याज के विरुद्ध सहायिकी | 462 | 462 | | 462 |
| प्रशमन प्रभार के प्रति सहायिकी | | | 3 | (3) |
| राज्य सरकार के स्टांप ड्यूटी के विरुद्ध सहायिकी | | | 7 | (7) |
| उपयोग – द | 989 | 989 | 466 | 523 |
| निवल राजस्व अंतर (स-द) | 4,737 | 1,670 | 4,146 | (2,478) |

1.09 उपरोक्त सारणी में यथादर्शित विव 2014-15 के लिए वास्तविक राजस्व आवश्यकता, अनुमोदित 11612 करोड़ रु. के प्रति 12579 करोड़ रु. रही है।

1.10 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वाराआ में विचलन के विस्तृत कारण निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणों में दिये गये हैं, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विव 2014-15 में विद्युत क्रय लागत माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 3.99 रु. प्रति इकाई

(प्रसारण लागत सहित) के प्रति 4.04 रु. प्रति इकाई (प्रसारण लागत सहित) उपगत की गई है। विद्युत क्रय दर में ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और पूर्व अवधि भुगतान के कारण है।

- 1.11 उपरोक्त के अलावा राजस्व अंतर में बढ़ोतरी संचित ऋण पर ब्याज व वित्त लागत में बढ़ोतरी तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज के कारण है। व्यवस्था बनाए रखनें एवं आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता ने लोड में कटौती नहीं की है। पर्याप्त बिजली खरीदने के लिए निरंतर धन की पूर्ति के लिए इस तरह की बिजली खरीद के लिए लघु अवधि राशि उधार लेना है। याचिकाकर्ता के कुल ऋण का 80 प्रतिशत बैंकों/वितीय संस्थाओं से अल्प वृद्धि ऋण के माध्यम से उठाया है। जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अधिक ब्याज पर भुगतान किया गया। कुल लागत में ब्याज लागत का अनुपात देशभर की युटिलिटी की तुलना में याचिकाकर्ता के मामले में बहुत अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व में गिरावट व विद्युत क्रय लागत में वृद्धि का भी राजस्व अंतर की बढ़ोतरी में योगदान रहा है।

ऊर्जा विक्रय

- 1.12 याचिकाकर्ता निवेदन करना चाहेगा कि विक्रय, उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न, मौसम की स्थितियों में परिवर्तन तथा भूमि की विधियों पर निर्भर करता है। उपरोक्त घटक याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से परे हैं, जिसके कारण उपभोग तथा इसके उपभोक्ताओं को विक्रय पर याचिकाकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।
- 1.13 नीचे दी गई सारणी विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक विक्रय तथा विद्युत के विक्रय से राजस्व की तुलना दर्शाती है :

सारणी 2: विव 2014-15 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना

| उपभोक्ता श्रेणी | राजस्व (करोड़ रु.) | | विक्रय (एमयू) | | औसत विपत्रण दर (रु./इकाई) | |
|---------------------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------------------|----------|
| | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक |
| घरेलू सेवा | 1,562 | 1,599 | 2,833 | 2,793 | 5.51 | 5.73 |
| अघरेलू सेवा | 810 | 627 | 1,173 | 904 | 6.91 | 6.93 |
| सार्वजनिक पथ प्रकाश | 99 | 116 | 184 | 142 | 5.38 | 8.17 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| कृषि मीटरित आपूर्ति | 3,463 | 3,131 | 8,369 | 7,473 | 4.14 | 4.19 |
| कृषि प्लेट दर आपूर्ति | 406 | 576 | 1,109 | 1,335 | 3.66 | 4.31 |
| लघु औद्योगिक सेवा | 138 | 144 | 237 | 235 | 5.82 | 6.10 |
| मध्यम औद्योगिक सेवा | 459 | 389 | 745 | 615 | 6.16 | 6.32 |
| वृहद औद्योगिक सेवा | 770 | 824 | 1,059 | 1,258 | 7.27 | 6.55 |
| सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लघु | 117 | 123 | 230 | 240 | 5.09 | 5.10 |
| सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम | 63 | 59 | 106 | 104 | 5.94 | 5.64 |
| सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद | 220 | 240 | 363 | 395 | 6.06 | 6.08 |
| मिश्रित भार आपूर्ति | 216 | 211 | 370 | 350 | 5.84 | 6.03 |
| विद्युत विक्रय से कुल राजस्व | 8,323 | 8,038 | 16,778 | 15,845 | 4.96 | 5.07 |

विद्युत विक्रय से राजस्व राविआ द्वारा अनुमोदित की गयी टैरिफ को ध्यान में रखते हुये वर्ष के शेष भाग के लिए माना गया है क्योंकि टैरिफ आदेश फरवरी 2015 में जारी किया गया था।

1.14 वास्तविक राजस्व में स्थाई प्रभार तथा विद्युत प्रभार शामिल हैं।

1.15 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर भी वास्तविक विपत्रण दर से भिन्न है। अनुमोदन में माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर अधिकांश श्रेणियों में वास्तविक विपत्रण दर से उच्चतर है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि विव 2014-15 का टैरिफ आदेश दिनांक 20 फरवरी 2015 केवल दो माह के लिए ही लागू था। इस वर्ष की शेष अवधि के लिए उपभोक्ताओं को पहले से लागू टैरिफ पर बिल भेजा गया। इसके अलावा, माननीय आयोग द्वारा राजस्व का अनुमान श्रेणीवार एबीआर स्लेब के आधार पर आंकलन किया है, जोकि वास्तविक में से काफी अलग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने श्रेणीवार बिक्री और राजस्व का वास्तविक विवरण लिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता सालभर एक ही स्लेब में नहीं रहता है। इसके अलावा अनुमानों के लिए माननीय आयोग ने वर्ष के अंत में उपभोक्ताओं की संख्या एवं संबद्ध भार का प्रयोग किया है, हालांकि वर्ष के दौरान दोनों में परिवर्तन होता है।

- 1.16 विक्रय तथा राजस्व में परिवर्तन, याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यह निवेदन है कि विक्रय को अंकेक्षित लेखों के अनुसार माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

वितरण हानियां

- 1.17 आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में वितरण हानियां 15.13 प्रतिशत अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता ने वितरण हानि का स्तर विव 2014-15 के लिए 24.29 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

सारणी 3: वितरण हानियां (प्रतिशत)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक | विचलन |
|---------------|----------|----------|-------|
| वितरण हानियां | 15.13% | 24.29% | 9.16% |

- 1.18 हालांकि, परिकल्पित परिचालन क्षमता को प्राप्त करने और सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में उच्च एटीएंडसी घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सीमित करना, कार्य की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, सौ प्रतिशत फीडर और डीटी मीटरिंग, उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटरिंग, ऊर्जा ऑडिट और फीडर स्तर पर लेखांकन, फीडर पृथक्कीकरण इत्यादि है। हानि घटाने के लिए खंड/वृत्त/जोनल स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को हानि में कमी के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। इसके साथ ही नाम और शर्म अभियान और आक्रमक सतर्कता जांच अभियान चलाकर चोरी को तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित हानि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूंजी निवेश योजनाएं भी चल रही हैं।
- 1.19 डिस्कॉम हानि में कमी के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उपर वर्णित हर गतिविधि के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर पहचाना जाता है और ये डिस्कॉम, केन्द्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार के मध्य उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए लेंडमार्क त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भाग है।
- 1.20 याचिकाकर्ता के वृहत वितरण क्षेत्र, छितराए वितरण लोड केन्द्र तथा अत्यधिक संख्या

में कृषि कनेक्शन देखते हुए इन उठाए गए कदमों का लाभ मिलने में कुछ समय की आवश्यकता है। आयोग द्वारा तय किए गए हानि के प्रक्षेपवक्र के आधार पर खर्च को अनुमत नहीं करना याचिकाकर्ता के लिए विव 2018-19 तक वित्तीय एवं परिचालन में बदलाव लाने के प्रयासों में झटके का कार्य करेगा।

- 1.21 इसलिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से यह प्रार्थना करती है मौजूदा हानि प्रक्षेपवक्र में संशोधन करे तथा इसे उदय योजना के तहत प्रक्षेपवक्र के अनुरूप तय करे। इस बीच याचिकाकर्ता माननीय आयोग से यह भी प्रार्थना करती है कि कृपया विव 2014-15 का सत्यापन अनुमोदित करते समय विव 2014-15 के वास्तविक वितरण हानि पर विचार करें।

ऊर्जा संतुलन

- 1.22 आयोग ने विव 2014-15 के लिए भिन्न-भिन्न स्रोतों से कुल ऊर्जा आवश्यकता 16776 मिलियन इकाइयां प्राक्कलित की हैं। याचिकाकर्ता द्वारा विव 2014-15 के लिए क्रय की गयी वास्तविक ऊर्जा 22208 मि. यूनिट थी। नीचे सारणी याचिकाकर्ता के लिए विव 2014-15 के दौरान अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय आवश्यकता की विस्तृतियां दर्शाती है।

सारणी 4: विव 2014-15 के लिए ऊर्जा संतुलन

| विशिष्टियां | विव 2014-15 के लिए अनुमोदित | विव 2014-15 के लिए वास्तविक |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ऊर्जा विक्रय (मि.यू.) | 16,776 | 15,845 |
| वितरण हानि (प्रतिशत) | 15.13% | 24.29% |
| वितरण हानि (मि.यू.) | 2,991 | 5,082 |
| वितरण परिधि पर आवश्यकता (मि.यू.) | 19,767 | 20,927 |
| राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (प्रतिशत) | 5.33% | 5.77% |
| राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (मि.यू.) | 1,115 | 1,281 |
| प्रसारण कं. परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.) | 20,882 | 22,208 |

विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

विद्युत क्रय लागत

- 1.23 दिनांक 20 फरवरी 2015 के आदेश में माननीय आयोग ने विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत 8966 करोड़ रु. प्रक्षेपित की थी। तथापि, अंकेक्षित लेखों के आधार पर वास्तविक विद्युत क्रय लागत 9022.61 करोड़ रु. अर्थात् अनुमोदित राशि से 56.61 करोड़ रु. उच्चतर है। आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय लागत, विद्युत अधिप्रापण की औसत दर 3.99 रु./किवाध (प्रसारण प्रभार सहित) स्पष्ट करती है जबकि विद्युत क्रय लागत के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा उपगत प्रसारण प्रभारों सहित 4.04 रु./किवाध है।
- 1.24 नीचे सारणी, याचिकाकर्ता की अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय लागत का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाती है :

सारणी 5: विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रु. में)

| स्रोत | अनुमोदित | | वास्तविक | | | |
|---|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | प्रेषित ऊर्जा | कुल लागत | | प्रेषित ऊर्जा | कुल लागत | |
| | एमयू | करोड़ रु. | (रु./किवाध) | एमयू | करोड़ रु. | (रु./किवाध) |
| राताविके | 1,976 | 610 | 3.09 | 1,797 | 566 | 3.15 |
| राजविके | 570 | 203 | 3.56 | 571 | 189 | 3.31 |
| भानाविनिलि | 1,168 | 333 | 2.85 | 958 | 282 | 2.94 |
| राविउनि | 8,637 | 3,297 | 3.82 | 7,908 | 3,002 | 3.82 |
| हिस्सेदारी परियोजनायें | 1,055 | 48 | 0.45 | 904 | 39 | 0.43 |
| अन्य (टेहरी +कोटेश्वर ताला +आरएफएफ) | 163 | 62 | 3.80 | 359 | 135 | 3.76 |
| लिग्नाइट आधारित संयन्त्र (गिरल I + गिरल II + राजवेस्ट + बगसिंगसर) | 2,490 | 1,026 | 4.12 | 2,688 | 844 | 3.14 |
| अडानी पावर राजस्थान लि.+सासन +एमपीपीएमसीएल + एनवीवीएन समूहित | 4,850 | 1,815 | 3.74 | 4,454 | 1,638 | 3.68 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| झज्जर + मुन्दरा + एसजेवीएनएल | | | | | | |
| अक्षय तथा सीपीपी | 1,559 | 694 | 4.45 | 1,805 | 789 | 4.37 |
| द्विपक्षीय | | | | 207 | 81 | 3.91 |
| बैंकिंग | | | | (119) | 39 | (3.27) |
| ट्रेडिंग | | | | 339 | 144 | 4.25 |
| अन्तर्दिस्कॉम क्रय | | | | 480 | 180 | 3.75 |
| गैर-अनुसूचित विनिमय | | | | 5 | 82 | 168.00 |
| कुल योग | 22,468 | 8,089 | 3.60 | 22,355 | 8,029 | 3.59 |
| प्रसारण प्रभार | | | | | | |
| भाविग्रिनिलि | | 218 | | | 245 | |
| राविप्रनिलि | | 650 | | | 645 | |
| मरू ट्रान्समिशन | | | | | 14 | |
| राभाप्रेके शुल्क | | 9 | | | 9 | |
| उक्षेभाप्रेके पराविम | | | | | 1 | |
| अरावली | | | | | 5 | |
| उक्षेभाप्रेके पोस्को | | | | | 1 | |
| सकल विद्युत क्रय लागत | 22,468 | 8,966 | 3.99 | 22,355 | 8,948 | 4.00 |
| जोडे पूर्व अवधि | | | | | 77 | |
| कुल ऊर्जा खरीद | 22,468 | 8,966 | 3.99 | 22,355 | 9,023 | 4.04 |

1.25 यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विव 2014-15 के दौरान विद्युत क्रय दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 3.99 रु. प्रति इकाई के प्रति 4.04 रु./इकाई उपगत की गई है। विद्युत क्रय दर में ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और पूर्व अवधि भुगतान है।

1.26 विव 2014-15 में उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस चुनने के कारण बिजली की भारी मात्रा का समर्पण किया गया। हालांकि यहां तक कि समर्पण की गई बिजली के लिए याचिकाकर्ता को बिना कोई बिजली लिए भी स्थाई शुल्क को वहन करना पड़ता है जोकि प्रति यूनिट बिजली की खरीद दर को बढ़ाता है।

1.27 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 77 करोड रुपये पूर्ववर्ती खर्च के रूप में खर्च हुए जिसस समग्र बिजली खरीद लागत बढ गई। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से

- प्रार्थना करती है विव 2014-15 की ट्र्यू-अप में बिजली खरीद खर्च को अनुमोदित करते हुए मितव्ययी पक्ष रखे।
- 1.28 माननीय आयोग ने विव 2014-15 की एआरआर अनुमोदित करते समय यह माना कि अतिरिक्त बिजली तापीय उत्पादन केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत + कुछ मार्जिन से अधिक दर से बेची जानी चाहिए और तदनुसार अतिरिक्त बिजली की औसत विक्रय दर 4.00 प्रति यूनिट अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली की विक्रय और खरीद एक गतिशील प्रक्रिया है। एक्सचेंज में बाजार समाशोधन कीमत खरीदार एवं अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों और संपूर्ण बाजार में बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का इन घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विव 2014-15 में याचिकाकर्ता इस तरह की अतिरिक्त बिजली को केवल 3.02 प्रति यूनिट की दर बेचने में सफल रहा। उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली खरीद लागत को कम किया जावे/व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को अतिरिक्त बिजली के बेचान से उत्पन्न वास्तविक राजस्व की हद तक लिया जाना चाहिए।
- 1.29 अतीत में माननीय आयोग ने बैंकिंग को एक लागत तटस्थ व्यवस्था माना है और उसी के अनुसार बैंकिंग की लागत को अस्वीकार कर दिया। हालांकि बैंकिंग के लिए कई तरह की लागत शामिल होती है जैसे व्यापार मार्जिन इत्यादि। याचिकाकर्ता विव 2014-15 की सत्यापन याचिका में माननीय आयोग से उपरोक्त को अनुमोदित करने का निवेदन करती है।
- 1.30 इस प्रकार, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से याचिकाकर्ता द्वारा विव 2014-15 के दौरान उपगत 9023 करोड़ रु. की समग्र विद्युत क्रय लागत को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

परिचालन एवं संधारण व्यय

- 1.31 परिचालन एवं संधारण व्यय में कर्मचारी लागत, प्रशासकीय व सामान्य व्यय तथा मरम्मत तथा संधारण व्यय शामिल हैं। राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 24 के सन्दर्भ में प.एवं.सं. व्यय प्रासमिक आधार पर माने जायेंगे।
- 1.32 माननीय आयोग ने दिनांक 20 फरवरी 2015 के अपने टैरिफ आदेश में प्रासमिक

आधार पर 635 करोड़ रू. के प.एवं.सं. व्यय (पूँजीकृत व्ययों सहित) और 394 करोड़ रूपये सेवान्त लाभ के लिए अनुमोदित किये थे। माननीय आयोग द्वारा प.एवं.सं. लागत वर्ष के लिए ऊर्जा विक्रय पर आधारित व्युत्पन्न किये गये थे।

- 1.33 अंकेक्षित लेखों के अनुसार याचिकाकर्ता के प.एवं.सं. व्यय 875 करोड़ रू. है। प.एवं.सं. में कमी मुख्यतः कर्मचारी लागत, मरम्मत एवं रखरखाव खर्चों में कमी के कारण है।
- 1.34 अधिवार्षिकी तथा उपादान के प्रति कुल दायित्व 403.73 करोड़ रू. है, जिसकी विस्तृतियां नीचे "कर्मचारी व्यय" मद में वर्णित है।
- 1.35 नीचे आगे और यथाविस्तृत, अनियंत्रणीय प्रकृति के व्यय होने के कारण, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से चाहे गये प.एवं.सं. के अनुमोदन का निवेदन करता है।
- 1.36 याचिकाकर्ता के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प.एवं.सं. व्यय तथा संशोधित प्रासमिक प. एवं.सं. व्ययों के सम्बन्ध में विचलन नीचे सरणित हैं –

सारणी 6: विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू. में)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक | विचलन |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| कर्मचारी लागत | 637 | 449 | 188 |
| सेवान्त लाभ | 394 | 404 | (10) |
| प्रशासकीय एवं सामान्य लागत | 68 | 71 | (3) |
| मरम्मत एवं संधारण लागत | 134 | 101 | 33 |
| घटायें – पूँजीकृत किये जाने वाले व्यय | 204 | 150 | 54 |
| सकल प.एवं.सं. | 1,029 | 875 | 153 |

कर्मचारी व्यय

- 1.37 याचिकाकर्ता के कर्मचारी व्ययों में वेतन, मजदूरी, भत्ते, अनुग्रह भुगतान, स्टॉफ कल्याणकारी व्यय, सेवान्त लाभ, आदि निहित हैं।
- 1.38 वास्तविक कर्मचारी व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक कर्मचारी की तुलना नीचे दिये गये अनुसार हैं :-

सारणी 7: विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रू. में)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|---------------|----------|----------|
| कर्मचारी व्यय | 446 | 316 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| सेवान्त लाभ | 394 | 404 |
| योग | 840 | 720 |

- 1.39 विव 2014-15 के लिए वाराआ के ट्रयूअप के विनिर्धारण के समय अधिवार्षिकी तथा उपादान भुगतान के प्रति 404 करोड़ रू. के दायित्व को कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है।
- 1.40 परिभाषित योजनान्तर्गत आवृत अनुपभोगित अवकाश के प्रति 31.03.2015 के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन करवा लिया गया है तथा उसे व्यय के रूप में मान लिया गया है।
- 1.41 अंकक्षित लेखा पुस्तकों के अनुसार वास्तविक कर्मचारी व्यय नीचे दिये गये अनुसार हैं-

सारणी 8: कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)

| क्र.स. | विशिष्टियां | 31 मार्च 14 को समाप्त हुये वर्ष के लिए |
|--------|--------------------------------------|--|
| अ. | वेतन, मजदूरी, भत्ते व बोनस आदि | |
| 1 | वेतन | 204.18 |
| 2 | समयोपरि | 1.58 |
| 3 | महगाई भत्ता | 185.74 |
| 4 | महंगाई वेतन | 0.04 |
| 5 | अन्य भत्ते | 24.01 |
| 6 | अनुग्रह भुगतान तथा बोनस | 6.86 |
| 7 | मानदेय | 0.04 |
| 8 | अर्जित अवकाश नकदीकरण | 13.77 |
| 9 | प्रथत विपत्र जारी करने पर प्रोत्साहन | - |
| 10 | पुनर्विधुत सम्बन्ध पर प्रोत्साहन | 0.12 |
| 11 | अन्य प्रोत्साहन | 0.02 |
| 12 | अन्तरिम राहत | - |
| 13 | वाहन व्यय | - |
| 14 | छठे वेतन आयोग का बकाया | - |
| 15 | निक्षेप सहबद्ध बीमा - मण्डल अंशदान | 0.88 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 16 | कर्मचारी राज्य बीमा – प्रशासकीय प्रभार | 0.22 |
| 17 | निगम द्वारा समूह बीमा योजनान्तर्गत भुगतान | 0.19 |
| 18 | कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियमान्तर्गत भुगतान | 4.77 |
| 19 | उप- योग | 442.43 |
| ब. | स्टॉफ कल्याणकारी व्यय | |
| 1 | चिकित्सा व्यय पुनर्भरण | 2.03 |
| 2 | चिकित्सा व्यय | 0.07 |
| 3 | प्रशिक्षण व्यय | 0.04 |
| 4 | सामान्य समूह बीमा- नियोक्ता अंशदान | 0.31 |
| 5 | गणवेश व वर्दी व्यय | 1.61 |
| 6 | साबुन व डस्टर | 0.32 |
| 7 | सुरक्षा साधन | 2.24 |
| 8 | अन्य कल्याणकारी व्यय | 0.06 |
| 9 | वार्षिक भृति लाभ | 0.02 |
| 10 | मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम | - |
| | उप- योग | 6.68 |
| द. | सेवान्त लाभ | |
| 1 | अंशदायी भविष्य निधि-मण्डल अंशदान | 11.08 |
| 2 | परिवार पेंशन निधि- मण्डल अंशदान | 9.26 |
| 3 | अधिवार्षिकी मण्डल अंशदान | 242.43 |
| 4 | सेवान्त लाभ – उपादान | 104.80 |
| 5 | अनुभोगिता उपार्जित अवकाश – बीमांकक मूल्यांकन | - |
| 6 | भविष्य निधि- निरीक्षण, अंकेक्षण प्रभार | - |
| 7 | अवकाश नकदीकरण | 36.16 |
| | उप-योग | 403.73 |
| | महा योग | 852.84 |
| | घटायें – पूंजीकृत कर्मचारी लागत | 133.18 |

| | |
|--|--------|
| पूँजीकरण के पश्चात् वास्तविक कर्मचारी व्यय | 719.66 |
|--|--------|

1.42 इसलिये, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से 719.66 करोड़ रु. के वास्तविक कर्मचारी व्यय को अनुज्ञात करने का निवेदन करता है।

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

1.43 वास्तविक प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक प्र.एव.सा. व्यय की तुलना नीचे दिये गये अनुसार है –

सारणी 9: प्रशा. एवं सामा. व्यय (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|------------------------|----------|----------|
| सकल प्रशा.एवं.सा. व्यय | 79.5 | 71 |

1.44 यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि "अन्य विविधि व्ययों" के मद के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय में 24.33 करोड़ रु. प्रशासन हेतु विद्युत व्यय, जल प्रभार सम्बन्धी व्यय, मीटरिंग व्यय, विपन्न संग्रहण प्रभार आदि को भी ध्यान में रखा गया है।

1.45 यह मानते हुये कि ये व्यय एक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए उपगत किये जाते हैं, जिन्हें पूर्णतया विक्रय पर प्रासमिक व्ययों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है।

1.46 विव 2014-15 में याचिकाकर्ता ने 54.23 करोड़ रु. (पूँजीकरण का निवल) का व्यय प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों के प्रति किया था, इसलिए माननीय आयोग से उसे अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

सारणी 10: प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रु.)

| क्र.स. | विशिष्टियां | विव 2014-15 |
|--------|--|-------------|
| 1 | किराया, दर एवं कर | 0.31 |
| 2 | संयन्त्रों व मशीनों की अनुज्ञप्ति व पूँजीकरण शुल्क | 1.02 |
| 3 | सुरक्षा सेवा प्रभार | 5.56 |
| 4 | टेलीफोन, टेलेक्स, इपीएबीएक्स व्यय | 1.81 |
| 5 | डाक व तार | 0.32 |
| 6 | विधिक प्रभार, तकनीकी शुल्क | 1.01 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 7 | अंकेक्षकों को भुगतान | 0.08 |
| 8 | परामर्शी व्यय | 1.52 |
| 9 | व्यावसायिक प्रभार | 0.01 |
| 10 | पूर्व कर्मचारियों से राजस्व अंकेक्षण का व्यय | 0.03 |
| 11 | अनुशासनात्मक प्रकरणों की जांच पर व्यय | - |
| 12 | यात्रा व्यय – वास्तविक किराया व अन्य | 8.02 |
| 13 | संव्यवहार शुल्क भा. विनियम | 8.03 |
| 14 | पीएक्सआईएल का संदेय शुल्क | 0.37 |
| 15 | समाचार पत्र व पत्रिकायें | - |
| 16 | वाहन चालन व्यय | 10.36 |
| 17 | अन्य विविध व्यय | 24.33 |
| 18 | भाड़ा व सामग्री सम्बन्धी व्यय | 7.82 |
| | महा-योग | 70.61 |
| | घटायें – पूंजीकृत प्रशासकीय एवं अन्य व्यय | 16.38 |
| | निवल प्रशासकीय एवं अन्य व्यय | 54.23 |

बीमा खर्चें

1.47 अनुमोदित एवं संशोधित बीमा खर्चों की तुलना नीचे दी गई है।

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|-------------|----------|----------|
| बीमा खर्चें | 13 | 0.43 |

मरम्मत एवं संधारण व्यय

1.48 वास्तविक मरम्मत एवं संधारण व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक मरम्मत एवं संधारण व्ययों की तुलना नीचे दी गयी है –

सारणी 11: मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|--------------------|----------|----------|
| सकल म.एवं.सं. व्यय | 134 | 101 |

1.49 याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 में इसकी अवसंरचना के मरम्मत एवं संधारण के प्रति 101 करोड़ रु. का व्यय उपगत किया है। मुख्य व्यय जोविविनिलि के संयन्त्र तथा

मशीनरी, लाइन तथा केबिल नेटवर्क की मरम्मत के अन्तर्गत पुस्तबद्ध किया गया है।
 1.50 मरम्मत एवं संधारण व्यय का विस्तृत ब्यौरा, माननीय आयोग के विचारार्थ, नीचे दिया गया है:

सारणी 12: मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | विव 2014-15 |
|--------------------------|---------------|
| संयन्त्र व मशीनरी | 50.53 |
| भवन | 1.31 |
| सिविल कार्य | 0.19 |
| जल कार्य | - |
| लाइनें तथा केबिल नेटवर्क | 47.76 |
| वाहन | 1.19 |
| फर्नीचर व उपस्कर | 0.03 |
| कार्यालय तथा अन्य उपकरण | 0.23 |
| योग | 101.25 |

व्ययों का पूंजीकरण

1.51 माननीय आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में 204 करोड़ रु. के व्ययों का पूंजीकरण होना माना है। अब, विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार व्ययों का पूंजीकरण 150 करोड़ रु., जिसकी विस्तृतियां नीचे दी गयी हैं, है।

सारणी 13: विव 2014-15 के लिए व्ययों का पूंजीकरण (करोड़ रु.)

| क्र.सं. | व्ययों का पूंजीकरण | 2014-15 |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 | कर्मचारी व्यय | 133.18 |
| 2 | प्र.एवं.सा. व्यय | 16.38 |
| | योग | 149.56 |

ब्याज तथा वित्त प्रभार

- 1.52 आयोग ने 1868 करोड़ रु. विव 2014-15 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार के रूप में अनुज्ञात किया है। अनुमोदित की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा उपगत वास्तविक व्यय 2676.55 करोड़ रु. (पूँजीकरण का निवल) है।
- 1.53 डिस्कॉम द्वारा भिन्न – भिन्न प्रकार की उधारियों पर उपगत ब्याज तथा वित्त व्यय की तुलना में माननीय आयोग द्वारा अनुज्ञात की विस्तृतियां नीचे सारणी में दी गयी हैं –

सारणी 14: ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|--|--------------|--------------|
| अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व | 1,326 | 0* |
| दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज | 312 | 694 |
| अल्पकालीन उधारियों/कार्यशील पूँजी पर ब्याज | 134 | 1,824 |
| प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज | 43 | 40 |
| वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया | 84 | 156** |
| घटायें – पूँजीकृत ब्याज तथा वित्त | 31 | 37 |
| योग | 1,868 | 2,677 |

*अल्प कालीन उधारियों एवं कार्यशील पूँजी पर ब्याज में सम्मिलित

**सीपीएफ ट्रस्ट की गारंटी और ब्याज सहित

- 1.54 जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, यूटिलीटि द्वारा विभिन्न प्रकार की उधारियों पर उपगत वास्तविक ब्याज लागत माननीय आयोग द्वारा अनुज्ञात की गयी से भिन्न है। इस सन्दर्भ में इस तथ्य को मानना होगा कि यूटिलीटि को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों में विचारित से अत्यधिक उधार लेना पड़ता है।
- 1.55 अल्पकालीन ऋण, कार्यशील पूँजी की प्रासमिक आवश्यकता के आधार पर, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार अनुज्ञात किये गये थे तथा इस आधार पर कार्यशील पूँजी पर प्रासमिक ब्याज टैरिफ आदेश में अनुज्ञात किया गया था, परन्तु ये वास्तविक अल्पकालीन ऋण पोर्टफोलियो पर ब्याज से अत्यन्त कम हैं। यूटिलीटि को कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा भारी राजस्व धाटे, जिसका पूर्णतः निधियन टैरिफ से राजस्व तथा सरकार से सहायिकी/संसहायिकी से नहीं हो रहा था, को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण लेन पड़ते हैं। याचिकाकर्ता इसे वास्तविक आधार पर अनुज्ञात करने का विनम्र निवेदन करता है।

- 1.56 उपरोक्त के अलावा ब्याज और वितीय लागत में बढ़ोतरी संचित ऋण और कार्यशील पूंजी पर ब्याज के साथ उत्पादकों को देर से भुगतान पर देय राशि के कारण है। व्यवस्था बनाए रखनें एवं आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता ने लोड में कटौती नहीं की है। पर्याप्त बिजली खरीदने के लिए निरंतर धन की पूर्ति के लिए अल्प अवधि ऋण की वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता के कुल ऋण का 80 प्रतिशत बैंकों/वितीय संस्थाओं से अल्प वृद्धि ऋण के माध्यम से उठाया है। जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अधिक ब्याज पर भुगतान किया गया। कुल लागत में ब्याज लागत का अनुपात देशभर की युटिलिटी की तुलना में याचिकाकर्ता के मामले में बहुत अधिक हो गया है। उपरोक्त के अनुसार याचिकाकर्ता माननीय आयोग से विव 2015-16 की सत्यापन याचिका में ब्याज तथा वित प्रभार की वास्तविक लागत को अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।
- 1.57 वास्तविक दीर्घकालीन ऋण पोर्टफोलियो भी आयोग द्वारा इसके परिकलन में माने गये औसत दीर्घकालीन ऋण से उच्चतर है। इस वर्ष के लिए वास्तविक औसत बकाया दीर्घकालीन ऋण माननीय आयोग द्वारा माने गये 2632 करोड़ रु. के स्थान पर 5469 करोड़ रु. था। इसका परिणाम दीर्घकालीन ऋण पर ऊपर दर्शाये गये अनुसार ब्याज में वृद्धि होना है।
- 1.58 उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से याचिकाकर्ता द्वारा विव 2014-15 में उपगत 2677 करोड़ रुपये के वास्तविक निवल ब्याज लागत को अनुज्ञात करने का निवेदन करता है।

ह्रास

- 1.59 आयोग ने विव 2014-15 के लिए 428.58 करोड़ रु. के वास्तविक ह्रास के प्रति विव 2014-15 के लिए 202 करोड़ रु. ह्रास के रूप में अनुज्ञात किया था। नीचे सारणी प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियों, अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पतियों तथा ह्रास की अनुमोदित तथा अंकेक्षित राशियों का तुलनात्मक सारांश दर्शाती है –

सारणी 15: विव 2014-15 के लिए ह्रास (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|-----------------------------------|----------|----------|
| प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियां | 5936 | 8023 |

| | | |
|---------------------------------|------|--------|
| अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | 6569 | 8973 |
| ह्रास | 202 | 428.98 |

- 1.60 राविविआ द्वारा यथाविहित ह्रास की दर परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रयुक्त की गयी है। स्थाई परिसम्पत्तियों पर ह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है। स्थाई परिसम्पत्तियां, मूल स्थाई लागत के 90 प्रतिशत तक ह्रासित की जाती है।
- 1.61 पिछले अभ्यास के अनुसार विव 2006-07 तक मूल्य ह्रास वर्ष के शुरुआत में अस्तित्व में संपत्ति पर वार्षिक आधार पर लगाया गया है। विव 2007-08 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष के प्रारंभ में अस्तित्व में रही परिसम्पत्तियों पर ह्रास वार्षिक आधार + वर्ष के दौरान परिवर्धित/कम की गई परिसंपत्तियों के लिए ह्रास का प्रावधान मानते हुए किया गया है कि यह त्रिमास की संपत्ति के तुरंत पहले उपयोग में लाई गई थी। (ह्रास का लेखा उपचार)। असल में विव 2014-15 से मूल्य ह्रास का प्रावधान आरईआरसी टैरिफ अधिनियम 2014 के अनुसार अपनाया गया है और संपत्ति के जीवन का पुनः गणना 31.03.2014 तक की गई है।
- 1.62 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस ट्र्यू-अप में विव 2014-15 के लिए 428.98 करोड़ रूपयो ह्रास (अंकेक्षित लेखों के अनुसार) के अनुरूप में अनुज्ञात करने का निवेदन करता है। क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा आरईआरसी द्वारा निर्धारित दरों को अपनाया गया है।

अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं को दी गई छूट तथा पूर्वावधि

- 1.63 विव 2014-15 के वास्तविक अंकेक्षित लेखों के आधार पर डिस्कॉम, माननीय आयोग से विव 2014-15 में अन्य डेबिट के लिए 242.82 करोड़ रु. अनुज्ञात करने का निवेदन करती है। यह निवेदन है कि "अन्य डेबिटों" के मद के अंतर्गत इस के साथ ही अन्य मदों की प्रकृति यूटिलीटी के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाना चाहिए। क्योंकि पूर्व अवधि विद्युत खरीद खर्च, खर्चों का ही भाग है चाहे वे पिछले वर्षों से संबंधित है।
- 1.64 उपरोक्त के अतिरिक्त, डिस्कॉम, माननीय आयोग से वास्तविक अंकेक्षित लेखों पर आधार पर विव 2014-15 के लिए 199.35 करोड़ रु. के पूर्वावधि व्यय को वाराआ के

भाग के रूप में अनुज्ञात करने का भी निवेदन करता है।

**सारणी 16: विव 2014-15 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय
(करोड़ रु.)**

| क्र.स. | विशिष्टियां | विव 2014-15 |
|--------------------------|---|---------------|
| अ पूर्व अवधि व्यय | | |
| 1 | पूर्व अवधि व्यय | (199.35) |
| ब. अन्य डेबिट | | |
| 1 | अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय | 0.18 |
| 2 | चोटग्रस्त, मृत्यु, क्षति के लिए क्षतिपूर्ति | 1.16 |
| 3 | अपलिखित उपभोक्ता बकाया | 0.26 |
| 4 | डूबत तथा संदिग्ध कर्ज प्रावधान | 13.00 |
| 5 | स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर कमी | - |
| 6 | अन्य डेबिट (सीएफएल वितरण व्यय) | - |
| 7 | उपभोक्ताओं को दी गई छूट | 28.88 |
| | उप-योग | 43.47 |
| | अन्य खर्चों का सकल योग | 242.82 |

विव 2014-15 के लिए साराआ का सारांश

1.65 पूर्वोक्त भागों में याचिकाकर्ता द्वारा किये गये निवेदन पर आधारित, याचिकाकर्ता की विव 2014-15 की संशोधित वाराआ 13247 करोड़ रु. परिकलित होती है। नीचे सारणी दिनांक 20 फरवरी 2015 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में उपगत वाराआ का सारांश दर्शाती है:-

सारणी 17: विव 2014-15 के लिए वाराआ (करोड़ रु.)

| व्यय | अनुमोदित | वास्तविक |
|---|----------|----------|
| विद्युत क्रय लागत | 8,089 | 8,103 |
| प्रसारण व्यय | 877 | 919 |
| परिचालन एवं संधारण व्यय | 635 | 481 |
| सेवांत लाभ | 394 | 394 |
| ब्याज तथा वित्त प्रभार (केयरिंग कॉस्ट सहित) | 1,734 | 439 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 134 | 2,238 |
| ह्रास | 202 | 429 |
| अन्य व्यय (पूर्व अवधि खर्च सहित) | - | 243 |
| बीमा खर्चा | 13 | 0 |
| कुल खर्चा | 12,078 | 13,247 |

राजस्व

राजस्व का सारांश

1.66 दिनांक 20 फरवरी 2015 के आदेश में माननीय आयोग ने 8320 करोड़ रू. विद्युत विक्रय से राजस्व के रूप में अनुमोदित किये। आयोग ने विव 2014-15 के लिए 247 करोड़ रू. गैर-टैरिफ आय के रूप में तथा 2.00 करोड़ रू. व्हीलिंग प्रभारों से आय अनुमोदित की है। इसके अलावा आयोग द्वारा अनुमोदित की तुलना में सार्वजनिक पथ प्रकाश, मिश्रिम भार, वृहद औद्योगिक श्रेणियों को वास्तविक विद्युत विक्रय में गिरावट, विव 2014-15 के दौरान याचिकाकर्ता के राजस्व में गिरावट का परिणामी रही है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक राजस्व 8635 करोड़ रू. (उपभोक्ताओं को अविपत्रित राजस्व तथा अनुज्ञात छूट रहित) है। अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व नीचे सारणी में सारांशित है :

सारणी 18: विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व (करोड़ रू.)

| राजस्व | अनुमोदित | वास्तविक |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| विद्युत का विक्रय | 8,320 | 7,923 |
| अन्य टैरिफ आय / गैर- टैरिफ आय | 464 | 659 |
| ट्रेडिंग गतिविधि से आय | 634 | 44 |
| व्हीलिंग प्रभारों से आय | 2 | 8 |
| कुल राजस्व | 8,786 | 8,635 |

1.67 विद्युत विक्रय से राजस्व में विद्युत प्रभार, स्थाई प्रभार, शक्ति धटक अधिभार, ईंधन अधिभार, शंट कैपेसीटर अधिभार, भार अधिभार, विगत विपन्न का समायोजन तथा अन्य प्रभार समाविष्ट हैं। पिछले बिलों का समायोजन/चोरी एवं गबन से राजस्व का

50 प्रतिशत और अन्य प्रभार को समायोजित करने के पश्चात् बिजली विक्रय से राजस्व 7923 करोड़ रूपये है।

- 1.68 जैसा की पिछले वर्गों में उल्लेख किया गया है कि माननीय आयोग ने विव 2014-15 की एआरआर अनुमोदित करते समय व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व काफी अधिक अनुमोदित किया है जिसके कारण बिजली खरीद दर कम हुई है। एक्सचेंज में बाजार समाशोधन कीमत खरीदार एवं अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों और संपूर्ण बाजार में बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का इन घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उपरोक्त के अनुसार याचिकाकर्ता व्यापारिक गतिविधियों से राजस्व को वास्तविक उत्पन्न राजस्व की हद तक अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।

गैर- टैरिफ आय

- 1.69 याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के दौरान माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 464 करोड़ रु. के प्रति 605.57 करोड़ रु. प्राप्त किये हैं। विस्तृतियां निम्नानुसार हैं -

सारणी 19: गैर टैरिफ आय (करोड़ रु.)

| गैर टैरिफ आय | वास्तविक |
|--|----------|
| स्टॉफ को ऋण व अग्रिमों पर ब्याज | - |
| आपूर्तिकारों से ब्याज | 2.33 |
| बैंक में स्थाई जमा से आय | 0.09 |
| आयकर वापसी पर ब्याज आय | - |
| जांच शुल्क से आय | 0.02 |
| स्थायी संपत्ति के बेचान से आय | 22.92 |
| स्टॉफ क्वार्टरों से किराया | 0.16 |
| सामग्री स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर आधिक्य | 0.00 |
| टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय | 0.29 |
| पंजीकरण शुल्क | 1.19 |
| विद्युत उत्पादन कम्पनी से क्षतिपूर्ति की वसूली | - |

| | |
|--|---------------|
| ग्राहक पारितोषिक पावर की वसूली | - |
| भुगतानों पर छूट | 2.96 |
| संविदाकारों से किराया | - |
| इरेक्टर हॉस्टल से आय | 0.00 |
| उपभोगित छूट/बट्टा | 3.96 |
| अन्य विविध प्राप्तियों | 20.72 |
| विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त ट्र्यू-अप जमा | 79.32 |
| विद्युत प्रसारण कंपनी से प्राप्त ट्र्यू-अप जमा | 140.36 |
| पर्यवेक्षण प्रभार | 3.53 |
| रद्दीमाल का विक्रय | 17.50 |
| उपभोक्ताओं से विलम्ब से भुगतान प्रभार | 193.81 |
| अपलिखित पूंजीगत परिसंपत्तियों की सब्सिडी लागत | 0.15 |
| अपलिखित राजस्व आय | 0.52 |
| अपलिखित पूंजीगत परिसंपत्तियों की अनुदान लागत | 15.11 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व | 44.95 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व (2010-11) | 7.42 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व (2011-12) | 9.97 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व (2012-13) | 10.56 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व (2013-14) | 16.31 |
| अपलिखित आस्थगित राजस्व (2014-15) | 11.42 |
| योग | 605.57 |

अन्य आय

1.70 याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के दौरान 53.85 करोड़ रु. की कुल अन्य टैरिफ आय प्राप्त की है, जिसकी विस्तृतियां निम्नानुसार हैं -

सारणी 20: विव 2014-15 के लिए अन्य आय (करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | विव 2014-15 अंकेक्षित लेखे |
|--|----------------------------|
| मीटर किराया, ट्रान्सफार्मर किराया तथा सर्विस लाइन किराया | 23.85 |
| चोरी तथा कदाचार से राजस्व | 14.02 |
| विविध प्रभार | 15.98 |
| कुल अन्य टैरिफ आय | 53.85 |

विव 2014-15 के लिए राजस्व धाटा

1.71 विव 2014-15 के लिए वास्तविक वाराआ तथा राजस्व प्रापण पर आधारित, राजस्व अन्तर, आयोग द्वारा अनुमोदित 1670 करोड़ रु. के प्रति 465.60 करोड़ रु. की सहायिकी करने के बाद 4146.12 करोड़ रु. है। अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांशित है :-

सारणी 21: विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्व धाटा
(करोड़ रु.)

| विशिष्टियां | अनुमोदित | वास्तविक |
|---|--------------|--------------|
| समग्र राजस्व आवश्यकता | 11,612 | 12,579 |
| गेप / (अतिरिक्त) | 2,658 | 4,612 |
| राजस्व सहायिकी / वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | | |
| विश्व बैंक से ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी | 4 | 3 |
| विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी | 390 | 320 |
| सरकार से नकद सहायता | 133 | 132 |
| ब्याज सहायिकी | 462 | |
| प्रशमन प्रभारों के प्रति सहायिकी | | 3 |
| राज्य सरकार से स्टांप ड्यूटी के प्रति संसहायिकी | | 7 |
| उप -योग | 989 | 466 |
| निवल राजस्व गेप | 1,670 | 4,146 |

1.72 जैसा कि उपरोक्त से सिद्ध होता है, विव 2014-15 मे राजस्व आवश्यकता में

वास्तविक अन्तर, आयोग द्वारा विव 2014-15 के लिए, इसके वाराआ आदेश में अनुज्ञात 1670 करोड़ रु. से भारी उच्चतर 4146 करोड़ रु. है। वास्तविक उच्चतर राजस्व अन्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा राविप्रनि को संदत्त प्रसारण प्रभारों सहित विद्युत क्रय लागत, कर्मचारी लागत ब्याज तथा वित्त लागत, को आरोपित की जा सकती है।

1.73 यह प्रार्थना है कि आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग विव 2014-15 के वास्तविक राजस्व अन्तर पर विचार करे।

विव 2014-15 के लिए विचलन विश्लेषण

1.74 नीचे दी गई सारणी, आय तथा व्यय के प्रत्येक तत्व के बारे में विचलन विश्लेषण दर्शाती है –

सारणी 22: विचलन विश्लेषण (करोड़ रु.)

| क्र. स. | विशिष्टिया | अनुमोदित (अ) | वास्तविक (अ) | विचलन (स=अ- ब) | विचलन के कारण | नियंत्रणीय / अनियंत्रणीय |
|---------|--|--------------|--------------|----------------|---|--------------------------|
| | 1. राजस्व | | | | | |
| | विद्युत का विक्रय | 8,320 | 7,923.03 | (396.97) | विक्रय में मुख्यतः कृषि घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी में कमी आई है। इसके अतिरिक्त कुछ श्रेणियों में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित औसत बिलिंग दर वास्तविक से अधिक थी। | अनियंत्रणीय |
| | गैर- टैरिफ आय / अन्य टैरिफ आय | 464 | 659.42 | 195.42 | वास्तविक के अनुसार | अनियंत्रणीय |
| | ट्रेडिंग से आय | 634 | 44.42 | (589.58) | वास्तविक के अनुसार | अनियंत्रणीय |
| | व्हीलिंग तथा क्रास सब्सिडी गतिविधि से आय | 2.00 | 7.93 | 5.93 | वास्तविक के अनुसार | |

| कुल राजस्व (अ) | 9420 | 8634.80 | (785.20) | | |
|--|--------|----------|----------|---|-------------|
| 2. व्यय | | | | | |
| विद्युत क्रय | 8,966 | 9,022.61 | 56.61 | एक्सचेंज एवं अल्पअवधि व्यवस्था से बिजली खरीद के कारण बिजली खरीद दर में वृद्धि हुई। माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत दर रुपये 3.99 के विरुद्ध 4.04 प्रति यूनिट रही। | अनियंत्रणीय |
| परिचालन एवं संधारण व्यय | 1,029 | 875.13 | (153.37) | अनुमोदित से मुख्य अंतर का कारण सेवांत लाभ है। | अनियंत्रणीय |
| ब्याज तथा वित्त प्रभार | 1,868 | 2,676.55 | 808.55 | ब्याज व्यय विचारित से उच्चतर पूंजीकरण के कारण बढ़े हैं। अपूरित राजस्व गैप के निधियन हेतु उच्चतर अल्पकालीन उधारियां। | अनियंत्रणीय |
| ह्रास | 202.00 | 428.98 | 226.98 | अन्तर, माननीय आयोग द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेषों में विचलन के कारण है। | अनियंत्रणीय |
| अन्य डेबिट अपलिखित तथा कोई अन्य मद पूर्वावधि व्यय को शामिल करते हुए। | - | 242.82 | 242.82 | वार्षिक अंकेक्षित लेखों के अनुसार, जिसे टैरिफ आदेश में ध्यान में नहीं रखा गया। | अनियंत्रणीय |
| बीमा खर्च | 13 | 0.43 | (12.57) | वास्तविक के अनुसार | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|----------|---------|-----------------------------------|---------------|
| | समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब) | 12078 | 13246.52 | 1169.02 | | |
| | अन्तर / (अधिशेष) (ब-अ) = स | 2658 | 4611.72 | 1953.72 | | |
| | घटायें - राजस्व सहायिकी | | | | | |
| | विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी | 390 | 320 | 70 | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | प्रयोज्य नहीं |
| 2 | विश्व बैंक ऋणों पर ब्याज अन्तर की राज्य सरकार से सहायिकी | 4 | 3.36 | .64 | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | प्रयोज्य नहीं |
| 3 | प्रशमन प्रभारों के प्रति सहायिकी | | 2.57 | (2.57) | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | |
| 4 | राज्य सरकार से नकद सहायता | 133 | 132.30 | .70 | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | प्रयोज्य नहीं |
| 5 | ब्याज सहायिकी | 462 | 0 | 462 | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | |
| 6 | राज्य सरकार से स्टांप ड्यूटी के लिए सहायता | | 7.36 | (7.36) | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | |
| 7 | कुल राजस्व सहायिकी - द | 989 | 465.60 | 523.50 | अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार | प्रयोज्य नहीं |
| | निवल राजस्व अन्तर (स-द) | 1670 | 4146.12 | 2476.62 | | प्रयोज्य नहीं |

1.75 उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर, विव 2014-15 के व्यय तथा राजस्व के ट्रयूअप तथा वर्ष के लिए 4146 करोड़ रु. के राजस्व अन्तर को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

अ 2: प्रार्थना

2.1 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर विव 2014–15 के व्यय तथा राजस्व के ट्रयूअप तथा वर्ष के लिए 4146 करोड़ रू. के राजस्व अन्तर के अनुमोदन की, सादर प्रार्थना करता है।
- वर्तमान प्रक्षेप वृक्र को संशोधित करावें और इसे उदय योजना के समान निर्धारित करें।
- तथा ऐसे अन्य व अग्रेतर आदेश, जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित व उपयुक्त लगे, पारित करे।

अति. मुख्य अभियन्ता (एचक्यू)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर